



अज अदालत... सहायक कलेक्टर... मुकाम... (SDO) बायत

... अशोक कुमार... बनाम... सुमाराय वगैरे

किस्म मुकदमा... 111, 128 RLR नं. 229/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री... हरि राम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 29/09/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (SDO) बायत </p>	
29/09/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय</p> <p>पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन आधि</p> <p>कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल</p> <p>इल्लवा होकर दिनांक 10/11/20 का</p> <p>पेश हों।</p>	
10/11/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी</p> <p>उपरोक्त के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त</p> <p>जिसमें शामिल पत्रावली विना गप्रा</p> <p>विप्रार्थी/उपरोक्त वाक्युत तामिल अनुपस्थित।</p> <p>अमान पीठासीन अधिकारी दिगर</p> <p>कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्लवा</p> <p>होकर दिनांक दिनांक 22/12/2020</p> <p>को पेश हो।</p>	

22/12/20

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन आंध
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्यादि होकर दिनांक 19/01/21 का
पेश हों।

19/01/21

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 06/04/2021
को पेश हो।

06/04/21

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 06/07/21
को पेश हो।

06/07/21

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 15/09/2021
को पेश हो।

15/09/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विजाधीगण वाकडुड
तामिल मनुउपस्थित। न्यायालय समग्र लेन बाह शराज
लगाई गई मंतिम शराज 5.45 PM पर सागई गई
विजाधीगण स्वयं या उनकी ओर ले डीरे अधिकृत
उपस्थित नहीं हुआ लियेजा विजाधीगणों के विरुद्ध
एडवोकेट डायरेक्टर माल के साई जाली हो प्रतः पाली
वडम पत्रावली दिनांक 14/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) वायव्य

14/10/21

प्रार्थी वहील उपस्थित। विजाधीगण मनुउपस्थित।
पीठासीन अधिकारी अमान्न जेने के संग मसि-
यान-2021 में पाली होने के मिसल इत्यादि होकर
आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।

हुक्म


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

10/11/2021

पञ्जाबली राज प्रशासन जॉबों के संज्ञ
 इतिहास - 2021 ईसवी ग्राम पंचायत दिगोडिया
 में रखी गई। ग्रामी वहील उपलब्ध। ग्रामी के
 अधिकारों की वरत लुनी गई। ग्रामी के अधिकारों
 ने बताया की ग्रामी व विधानसभा के प्रादेशी
 क्षेत्र लंबा लंबा मायें हुए हैं। ग्रामी व विधानसभा
 के क्षेत्रों के मध्य जो पुरानी मायें व डोने मायें
 हुए हैं जो वर्तमान में प्रादेशी की पञ्चाले विषय
 गये हैं जिसमें ग्रामी की अपने क्षेत्र के सेवे का
 सही ज्ञान नहीं है या रहा है जिस कारण ग्रामी
 व विधानसभा के मध्य क्षेत्र के लेने का लेना
 टमैना लनाजा बना रहता है। ग्रामी की अपने
 क्षेत्र के लेने का सही ज्ञान डालने हेतु नैयामबन्दी
 डालनी आवश्यक है। इसलिए ग्रामी का नैयामबन्दी
 प्रादेशी स्वयंसेवा विभाग जाड़ा नैयामबन्दी प्रादेशी
 विभाग जावे।

कितः ग्रामी अधिकारों के निवेदन पर
 ग्रामी का नैयामबन्दी प्रादेशी स्वयंसेवा विभाग जाड़ा
 लवाया जावे। ग्रामी व सम्बन्धित मय
 अधिकारों निरिस्तु डो लवाये डमिशन नियुक्त
 विभाग जाड़ा प्रादेशी विभाग जावे है कि प्रादेशी स्वयं
 या लवाये डमिशन ले ग्रामी के प्रादेशी क्षेत्रों
 की पञ्ची नैयामबन्दी प्रादेशी पर डमिशन सुलु
 जमा डाला डरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पञ्जाबली डो पञ्जाबली फेमल सुमा टोडा
 डरु नम्बर ले डम डो, प्रादेशी डमल डरे।


 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बाभत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2021/ 1316
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 22/11/2021
विप्रार्थीगण

1. अशोक कुमार पुत्र देदाराम वगैरा 4
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 29
जाति जाट, नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 229/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लीलाला, पटवार मण्डल - बायतु पनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 449/257 रकबा 4.8378 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालन रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

दिनांक:- 22/11/2021

क्रमांक/वाद /2021/ 1317-1321
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- 1 तहसीलदार बायतु
- 2 पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3 प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र देदाराम वगैरा. 4
- 4 विप्रार्थी श्री खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 29
- 5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु